उभरते वित्तीय परिदृश्य से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए निक्षेप बीमा संस्थाओं का सशक्तीकरण - वैश्विक तथा भारतीय अनुभव*

के.सी. चक्रवर्ती

जापान के डिपॉज़िट इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन के उप-गवर्नर श्री हिरोयुकी ओबाता, इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इन्श्योरर्ज़ स्विट्ज़रलैण्ड के महासचिव श्री कार्लोस आइसोर्ड, पौलैण्ड के बैंक गारंटी फण्ड के प्रेज़ीडेन्ट श्री जेर्ज़ी प्रुस्की, फेडरल डिपॉज़िट इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन, यू.एस.ए.के निदेशक श्री फ्रेड एस. कार्न्स, रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. गोपालकृष्ण, विशिष्ट प्रतिनिधिगण, तथा देवियो और सज्जनो ! सर्वप्रथम मैं रिज़र्व बैंक की ओर से, भारत में, और विशेषकर इस सम्मोहक प्रदेश राजस्थान में, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आइएडीआइ का भी धन्यवाद करता हूं कि वे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के साथ संयुक्त रूप से इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए सहमत हुए। जैसा कि आप जानते हैं, डीआइसीजीसी ने 1 जनवरी 2011 में अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। चूंकि यह सम्मेलन डीआइसीजीसी के स्वर्णजयंती समारोहों के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए इसका एक विशेष महत्व है।

वैश्विक वित्तीय संकट तथा निक्षेप बीमा

2. हाल के वैश्विक वित्तीय संकट से प्रकट हुआ है कि समूचे विश्व की वित्तीय प्रणालियां, वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा साथ ही इस संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा तंत्रों पर भरोसा करती हैं। वैश्विक संकट के दौरान, अनिश्चितता ने ऐसी दहशत फैलाई कि बैंक ढह गए। इन परिस्थितियों में, इस दहशत को रोकने के लिए, वित्तीय सुरक्षा तंत्र के एक भाग के रूप में, निक्षेप बीमा काफी महत्वपूर्ण होकर उभरा है। विश्वभर की सरकारों ने इस संबंध में कई उपाय किए जैसे कि, निक्षेप बीमा कवरेज सीमाएं बढ़ाना तथा निर्बंध गारंटियाँ प्रदान करना, इत्यादि। इन उपायों से बैंकिंग प्रणालियों में, जनता का विश्वास फिर से लौटा। इसलिए वित्तीय संकटों को रोकने और दुष्प्रभावों को कम करने तथा साथ ही वित्तीय प्रणालियों के सुगम संचालन और वित्तीय स्थिरता को कायम रखने में, निक्षेप बीमा की महत्ता को पूर्णतः स्वीकार किया गया है।

3. इस प्रकार, वित्तीय संकट ने, निक्षेप बीमा प्रणालियों तथा व्यापक सुरक्षातंत्र संबंधी मुद्दों की भूमिका के संबंध में नए विचारों को जागृत किया। अब यह बड़े पैमाने पर माना जा रहा है कि निक्षेप बीमा प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्रों को बैंकों की असफलता की पूर्व-पहचान करने और उनका प्रभावी समाधान निकालने के लिए विनियामक ढांचे में पूर्व-सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। निक्षेप बीमा प्रणालियों को अपनी भूमिका और प्रभावी ढंग से निभाने में समर्थ बनाने के लिए यह महसूस किया गया है कि निक्षेप बीमा प्रणालियों को नया रूप दिया जाए और बैंक समाधान में उनकी भूमिका बढ़ाई जाय। जब व्यक्तिगत संस्थाएं फेल होती हैं तो जमाकर्ताओं को केवल मात्र बीमासुरक्षा से बचाने की बजाय, जो कि बड़े जमाकर्ताओं के हिसाब से वैसे भी कोई व्यापक सुरक्षा नहीं होती, यह अधिक प्रभावी रहेगा कि बीमाकर्ता को इस प्रक्रिया में शुरू से ही शामिल रखा जाय। इससे जमाकर्ताओं को, एक जोखिमधारक समूह के रूप में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, अपने हितों की बेहतर सुरक्षा का अवसर मिलेगा और साथ ही बीमा योजना की क्षमता भी बढ़ेगी।

4. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि यह सम्मेलन ''बैंक समाधान फ्रेमवर्क में निक्षेप बीमा की भूमिका - वित्तीय संकट से शिक्षा'' विषय पर आयोजित किया जा रहा है जो बहुत ही संगत, उपयुक्त और सामयिक है। कई देशों के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण उप-विषयों पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, जैसे- बैंक समाधान फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण तत्व, विभिन्न देशों के अनुभव, विनियामकों की प्रतिक्रियाएं तथा सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियाँ। इस सम्मेलन में बहुत से पत्रों पर चर्चा हुई है जैसे - दीवालियेपन के ढांचे के तत्व, सीमापार दीवाला ढांचा, बैंक समाधान में निक्षेप बीमा की भूमिका, संकटगत ढांचा, विनियामक सुधार (बासेल III) वित्तीय संकट पर निक्षेप बीमाकर्ताओं की प्रतिक्रिया, समाधान ढांचे के संबंध

*15 नवंबर 2011 को जोधपुर में 'बैंक समाधान फ्रेमवर्क में निक्षेप बीमा की भूमिका - वित्तीय संकट से शिक्षा' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर, डॉ. के.सी. चक्रवर्ती द्वारा दिया गया समापन भाषण। इस अभिभाषण को तैयार करने में डॉ. ए. राराविकर द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए हार्दिक आभार।

में वैश्विक पद्धतियों की समीक्षा, बैंक समाधान की मुख्य विशेषताएं, प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों के लिए मौलिक सिद्धांत तथा सुरक्षा-तंत्र ढांचे के निर्धारण में चुनौतियां। विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों द्वारा इस सम्मेलन में बहुत से विचारों, दृष्टिकोणों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया है तथा उन पर चर्चा हुई है और नीतिनिर्माताओं को भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। मैं यहां इनका सारांश प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सम्मेलन में हुई प्रमुख चर्चाएं

5. इस सम्मेलन में वैश्विक विनियामक सुधारों की परिवीक्षा की गई और एशिया, विशेषकर एशियाई बैंकों पर, इनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया। आवश्यकता इस बात की है कि पूंजी के भंडार बनाए जाएं, बैंकों के नगदी जोखिम प्रबंधन में सुधार लाया जाए, अल्पावधि थोक निधीयन पर उनकी निर्भरता कम की जाए, निधीयन के अधिक स्थिर स्रोतों से कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान करने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित कर लोच बढ़ाया जाए, सूक्ष्म एवं वृहत् दबाव परीक्षण किए जाएं तथा मजबूत पूंजी आधार बनाया जाए। ''बृहत् विवेकसम्मत नीति फ्रेमवर्क'' तथा निक्षेप बीमा के बीच आपसी संबंध पर भी चर्चा हुई। इसमें जो मुद्दे शामिल किए गए वे हैं - निक्षेप बीमाकर्ताओं द्वारा वृहत् विवेकसम्मत परिप्रेक्ष्य, वित्तीय स्थिरता में उनकी विशिष्ट भूमिका, निधीयन व्यवस्थाएं, निक्षेप बीमा प्रीमियम, कवरेज, तथा निक्षेप बीमा का सीमापार समन्वय। अमरीका की एफडीआइसी के अनुभव से जिन चीज़ों की ज़रूरत ज्ञात हुई, वे हैं - बाज़ार में अनुशासन वापस लाना, यदि बड़ी वित्तीय संस्थाएं लाभप्रद न रहें तो उन्हें असफल होने देना, उनके क्रमिक परिसमापन के लिए सीमापार से सहयोग लेना, बैंकों का मज़बूत पूंजी आधार और पर्यवेक्षकों द्वारा वस्तुनिष्ठ पूंजी मानकों को लागू किया जाना। दूसरे देशों के अनुभवों से निक्षेप बीमाकर्ताओं के विधिक और परिचालनात्मक उपकरणों को मज़बूत बनाने, बैंकिंग समाधान अनुरूपता अभ्यास करने तथा प्रणालीगत संस्थाओं की नियमित मॉनीटरिंग की भी ज़रूरत महसूस की गई।

6. कुछ अन्य प्रस्तुतियों के अनुसार, निक्षेप बीमा को, वित्तीय उत्तरदायित्व तथा मूल क्षमताओं के साथ, एक उत्तरदायी समाधान एजेन्सी होना चाहिए। आकस्मिकता के लिए आयोजना, प्राधिकरणों में तालमेल, यथार्थ निधीयन योजना, ग्राहक जागरूकता, रिकवरी तथा समाधान योजनाएं, तीव्रतर भुगतान (पे-आउट्स) तथा विनियामक सुधार भी होने चाहिए। निक्षेप बीमाकर्ताओं को स्वतंत्र, शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम, वित्तीय आंकड़ों तक पहुंच बनाने वाला, पर्याप्त निधीयन तथा विधिक सुरक्षा की व्यवस्था करने वाला होना चाहिए। समाधान व्यवस्था के लिए प्रमुख कारकों की पहचान की गई, जिनसे निक्षेप बीमाकर्ताओं को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पर्यवेक्षकीय तथा विनियामक कमियों, नए उपायों के सुस्त कार्यान्वयन तथा सरकारों द्वारा बढ़ते हुए नैतिक खतरों से उपजी आशंकाओं से निक्षेप बीमा प्रणालियों के कमज़ोर होने पर चिंताएं व्यक्त की गई।

7. वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने समाधान पर जो कार्य किया है, उसमें इस बात की ज़रूरत पर बल दिया गया कि निक्षेप बीमाकर्ताओं को समाधान फ्रेमवर्क के सभी पहलुओं से अच्छी तरह जुड़ा होना चाहिए जिसमें सूचना, उपकरण, आकस्मिकता आयोजना आदि भी शामिल हैं। सीमापार दीवालियेपन के संदर्भ में एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें हानि को सहने की बढ़ी हुई क्षमता हो, समाधान व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा बाज़ार संबंधी बुनियादी ढांचा तथा पर्यवेक्षण मज़बूत हो। इनके अलावा प्रणालीगत जोखिमों, निक्षेप बीमाकर्ताओं की बदलती भूमिका तथा उनके लिए भावी निर्देश, उनकी डिज़ाइन संबंधी विशेषताएं, संगठनात्मक मुद्दे, जिनमें बढ़ी हुई समाधान भूमिका के प्रभाव शामिल हों, आदि मुद्दों पर भी चर्चाएं आयोजित की गईं। अंत में, मूल सिद्धांतों की भूमिका तथा आकलन संबंधी चुनौतियों पर भी विशद चर्चा हुई।

8. इस सम्मेलन में हुई बातचीत और चर्चाएं काफी लाभकारी रही हैं तथा इससे नीति निर्माताओं को निश्चय ही एक वैचारिक खुराक मिली है। अब मैं आपको भारत की निक्षेप बीमा प्रणाली के बारे में संक्षेप में बताऊँगा, अपेक्षित सुधारों से संबंधित मुद्दे इंगित करूंगा तथा वैश्विक निक्षेप बीमा प्रणालियों के लिए, आगे की कार्रवाई पर, अपने विचार प्रस्तुत करूंगा।

भारत की निक्षेप बीमा प्रणाली

9. भारत जैसे देश में, जहां बहुत से लोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं और छोटे जमाकर्ता अपनी निधियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते हैं वहां निक्षेप बीमा, वित्तीय समावेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। निक्षेप बीमा, प्रबंधकों की कार्यनीतिगत गलतियों तथा व्यापक प्रणालीगत आघातों से भी, छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा करता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा तंत्र के फ्रेमवर्क, जिसमें वित्तीय विनियमन/पर्यवेक्षण भी शामिल है, के अन्य तत्व भी, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत में, निक्षेप बीमा की सुविधा के बारे में, लोगों में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सरकार और रिज़र्व बैंक के कारण, लोगों में यह धारणा है कि, भारत के बैंक इतने बड़े हैं कि वे फेल हो ही नहीं

सकते। हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में यह धारणा सही हो, लेकिन यहां के निजी क्षेत्र के बैंकों, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों तथा बड़ी संस्था में सहकारी बैंकों के बारे में यह धारणा निश्चय ही सही नहीं है।

10. अब मैं आपके समक्ष, भारत की निक्षेप बीमा प्रणाली का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता हूं। संसद के एक अधिनियम अर्थात् डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, 1962 में भारत में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम की स्थापना हुई। यह विश्व की दूसरी सबसे पुरानी, कार्यरत निक्षेप बीमा एजेन्सी है। डीआइसीजीसी भारत के केन्द्रीय बैंक, अर्थात रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व के अधिन एक सहायक संस्था है। यथार्थ में तो यह एक भुगतान प्रणाली जैसी ही है क्योंकि वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार इसकी भूमिका केवल दावों के निपटान तक ही सीमित है। नीचे दी गई तालिका 1 से आपको यह अनुमान लग जाएगा कि डीआइसीजीसी कितनी बड़ी मात्रा में दावों के निपटान का कार्य करती है। डीआइसीजीसी का मिशन है, ''विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं के लाभ के लिए, निक्षेप बीमा प्रदान करके, बैंकिंग प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास प्राप्त करके वित्तीय स्थिरता में योगदान देना''। इसका विज़न है, ''जोखिम धारकों की ज़रूरतों के प्रति संवेदी तथा निक्षेप बीमा सर्वाधिक सक्षम और प्रभावी प्रदाताओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त करना''। सभी वाणिज्य बैंक तथा पात्र सहकारी बैंक, निक्षेप बीमा के अंतर्गत आते हैं। 31 मार्च 2011 को डीआइसीजीसी के पास पंजीकृत बैंकों की संख्या 2,217 थी। प्रति बीमाकर्ता, बीमा सुरक्षा, रु.0.1 मिलियन (लगभग 2,240 अमरीकी डॉलर) है। संख्या के हिसाब से लगभग 93 प्रतिशत जमाखाते, तथा मूल्य की दृष्टि से जमाराशियों का 35 प्रतिशत बीमा के अंतर्गत शामिल हैं (सारणी 2)। 31 मार्च 2011 को, यह कवरेज, भारत की प्रतिव्यक्ति जीडीपी का 1.6 गुना है। बीमा प्रीमियम, एक-समान-दर पर लिया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि चूंकि भारत का बैंकिंग क्षेत्र, हाल के वैश्विक वित्तीय संकट से अधिकांशतः सुरक्षित रहा है, अतः वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में, बीमा कवरेज तथा प्रीमियम दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

तालिका 1: असफल बैंक तथा डीआइसीजीसी द्वारा दावों का भुगतान

वर्ष	असफल बैंकों की संख्या *	भुगतान किए गए दावे (राशि मिलियन अमरीकी डॉलर में)
	1	2
2007-08	22	40
2008-09	30	45
2009-10	28	145
2010-11	28	89

* सभी बैंक, शहरी सहकारी बैंक थे डीआइसीजीसी बैंक के परिसमापन के बाद दावों का भुगतान करता है।

तालिका 2: बीमा कवरेज की *तुलना में* जमा वितरण

विवरण	2010-11 के अंत में (अप्रैल-मार्च)	
	खातों की संख्या (मिलियन में)	मूल्य (बिलियन रुपयों में)
	1	2
1 रु. 0 से रु.0.1 मिलियन तक की जमाराशियां	977	17,358 (389)
2 रु. 0.1 मिलियन से कुल तक की जमाराशियां	75	32,166 (720)
3 कुल जमाराशियाँ	1,052	49,524 (1,109)

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बिलियन अमरीकी डॉलर में हैं।
2. अधिकतम बीमा कवरेज स्तर 0.1 मिलियन रुपये है।

11. मैं यहां यह भी सूचित करना चाहता हूं कि प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों हेतु मूल सिद्धांतों के लिए ड्राफ्ट मूल्यांकन पद्धति का फील्ड परीक्षण करने के लिए सितंबर 2010 के अंत में आइएडीआइ तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधियों के एक दल ने डीआइसीजीसी का दौरा किया था। दल की रिपोर्ट के अनुसार डीआइसीजीसी, प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों हेतु 18 मूल सिद्धांतों के लगभग आधे सिद्धांतों का पालन, अथवा अधिकांशतः पालन कर रहा है। अपने भुगतान कार्य में डीआइसीजीसी, सभी मूल सिद्धांतों का पूर्णतः अथवा अधिकांशतः अनुपालन कर रहा है। तथापि समग्र दीवालियापन फ्रेमवर्क, जो कि डीआइसीजीसी के नियंत्रण के बाहर है, में कमज़ोरियों की वजह से, कई मूल सिद्धांतों का समग्र अनुपालन सीमित रहा।

12. अपनी स्वर्ण जयंती की पूर्व संध्या पर डीआइसीजीसी ने ब्रोशर्स और पोस्टर्स मुद्रित करना कर निक्षेप बीमा के बारे में, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए हैं। साथ ही बीमाकृत बैंकों को यह सूचना भी भेजी है कि वे अपनी सभी शाखाओं में डीआइसीजीसी के बारे में जानकारियाँ प्रदर्शित करवाएँ और लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। निगम ने जमाराशियों पर सही और ताज़ा जानकारी लेने के लिए एकीकृत दावा प्रबंधन प्रणाली, जैसे ''जमाकर्ता-केंद्रित उपकरणों'' का प्रयोग भी शुरू किया है जिससे दावों के शीघ्र निपटान में मदद मिलेगी।

निक्षेप बीमा प्रणाली में सुधार

13. अब मैं उन सुधारों का ज़िक्र करूँगा जो भारत की निक्षेप बीमा प्रणाली में किए जाने अपेक्षित हैं, और इनसे जुड़े मुद्दों पर बात

करूँगा। सबसे पहले हाल के संकट ने बताया है कि निक्षेप बीमाकर्ताओं को, बैंक फेल होने की पहले ही पहचान करने के लिए, तथा प्रभावी समाधान के लिए, विनियामक ढाँचे में अग्रसक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि उनकी निधियों की सुरक्षा हो तथा लोगों में इनका विश्वास बना रहे। अतः यह आवश्यक है कि डीआइसीजीसी का अधिदेश मात्र भुगतानकर्ता (जमाकर्ताओं के दावों का, विधि में निर्धारित सीमा तक और रीति से भुगतान करना) से बढ़ाकर बैंक समाधान के सभी पहलुओं में, न केवल समापन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बल्कि बैंकों की निगरानी, शीघ्र सुधार संबंधी उपायों तथा संकटग्रस्त बैंकों के समाधान की सर्वाधिक किफायती विधि का पता लगाने और उसे कार्यान्वित करने में भी किया जाए। इससे जमाकर्ताओं के दावों का जल्दी निपटान होगा, लागतें कम होंगी, समाधान तेज़ी से होगा, तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का लाभ भी मिलेगा। इसका सर्वोत्तम तरीका यह है कि स्पष्ट रूप से सुपरिभाषित 'बैंक शोधक्षम व्यवस्था' तथा एक 'सुप्रकल्पित समाधान प्रक्रिया' बनाकर लागू की जाए। दूसरे, रिज़र्व बैंक के पास शक्ति होनी चाहिए कि वह दीवालिएपन से पहले, बैंक का समाधान कर सके। समाधान शक्ति बढ़ाने के लिए एक विशेष बैंक समाधान कानून भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अस्थायी प्रशासक की नियुक्ति के लिए भी बिल पास करना होगा। तीसरे, फेल हो चुके बैंकों के जमाकर्ताओं का बैंकिंग प्रणाली में भरोसा बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि जमाकर्ताओं को अपने पैसे जल्दी मिलें। इसलिए डीआइसीजीसी को ऐसे रास्ते खोजने की ज़रूरत है कि जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति जल्दी से जल्दी हो सके। इसके लिए प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें सभी शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सीबीएस प्रणाली अपनाना, तथा जमाकर्ताओं संबंधी आँकड़ों तक पहुँच बनाने के लिए डीआइसीजीसी तथा बैंक के सीबीएस के बीच प्रभावी इंटरफेस बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त निक्षेप बीमाकर्ताओं को पर्याप्त समय पूर्व, उन स्थितियों के बारे में सूचित कर दिया जाना चाहिए, जिनके अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित होगी और साथ ही उन्हें अग्रिम रूप से, जमाकर्ताओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाए। चौथा, सुरक्षा सीमा भी बढ़ानी आवश्यक है जो 1993 से रु. 0.1 मिलियन पर ही रुकी हुई है। ग्राहक सेवा पर हाल की दामोदरन समिति की रिपोर्ट ने भी निक्षेप बीमा सुरक्षा में वृद्धि की बात कही है। पाँचवें, सहकारी बैंकों पर दोहरे नियंत्रण और इन बैंकों में प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर के कारण, जमाकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में देरी होती है। परिसमापकों की नियुक्ति में भी देरी होती है। इस समय डीआइसीजीसी के पास बहुत कम शक्तियां हैं कि परिसमापकों को सूचना एकत्र करने में जल्दी करने के लिए कह सके। यदि परिसमापक, सूचनाएँ और जल्दी भिजवाएँ तो प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सकती है। इसलिए यदि डीआइसीजीसी को परिसमापक नियुक्त करने और उन पर निगरानी रखने की शक्ति प्रदान की जाए तो यह लाभकारी रहेगा। पाँचवें, जमाकर्ताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए निक्षेप बीमाकर्ता के पास पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे अपना अधिदेश जारी कर सकें। डीआइसीजीसी की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने और बैक-अप निधीयन के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ करने की भी ज़रूरत है। डीआइसीजीसी को प्रीमियम से होने वाली आय, जो इसकी निधियों का मुख्य स्रोत है, का आधा हिस्सा तो सरकार को आयकर के रूप में दे दिया जाता है। क्योंकि डीआइसीजीसी एक नॉन-प्रॉफिट संस्था है और यह छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा की अपनी सामाजिक बाध्यताएँ निभाने का काम करती है इसलिए इसे आयकर के भुगतान से छूट प्रदान की जाए जैसा कि पूरे विश्व में किया जाता है। इस कर-छूट से डीआइसीजीसी को अपना निधि-आधार मज़बूत बनाने में मदद मिलेगी जिससे यह जमाकर्ताओं को अधिक सुरक्षा दे सकेगी, और वांछित सुरक्षित राशि का अनुपात प्राप्त करने के बाद, प्रीमियम की दर घटाकर, इसका लाभ बीमाकृत बैंकों को भी दे सकेगी। छठा, वैश्विक संकट ने दिखाया है कि प्रणालीगत संकट आने पर निक्षेप बीमाकर्ताओं को सरकार / केंद्रीय बैंक की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, और कितनी राशि अपेक्षित होगी इसका भी पता नहीं चल पाता। रिज़र्व बैंक से डीआइसीजीसी को दिए जाने वाले बैक-अप फंड्स भी बहुत कम हैं (रु. 50 मिलियन)। इसलिए आदर्श स्थिति यह होगी कि 'बैक-अप सहायता' असीमित बना दी जाय और उसकी अनुमोदन प्रक्रिया तेज़ की जाय। सातवां, डीआइसीजीसी की 'एक समान दर प्रीमियम प्रणाली'' है। इसे ''जोखिम आधारित विभेदात्मक प्रीमियम प्रणाली में बदला जाय। इससे नैतिक खतरे कम होंगे और 'प्रीमियम निर्धारण प्रक्रिया'' में और अधिक औचित्य आएगा।

14. जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, कई अपेक्षित सुधार करके, भारत की निक्षेप बीमा प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए, डीआइसीजीसी अधिनियम में आमूल परिवर्तन करना आवश्यक होगा। हमने निक्षेप बीमा में सुधार लाने तथा डीआइसीजीसी अधिनियम में संशोधन सुझाने के लिए एक कार्य-दल गठित किया है जो इन पहलुओं की जांच करेगा।

वैश्विक निक्षेप बीमा प्रणालियाँ : नीति संबंधी मुद्दे तथा भावी पथ

15. 'बैंक समाधान ढाँचे के महत्वपूर्ण तत्व' के सत्र में दीवालिएपन के ढाँचे से जुड़े तत्वों के अलावा, 'सीमापार दीवालियापन ढाँचे' तथा 'बैंक समाधान में निक्षेप बीमा की भूमिका' पर भी चर्चा हुई। किसी अर्थव्यवस्था को वित्तीय संकट से बचाने / सुरक्षित रखने के लिए समूचे विश्व में निक्षेप बीमा प्रणालियाँ, समग्र सुरक्षातंत्र ढाँचे

का अविभाज्य अंग होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी आकार के बैंकों के प्रभावी समाधान तथा साथ ही बचाव कार्यवाही शुरू करने और जोखिम को न्यूनतम रखने के लिए निक्षेप बीमाकर्ताओं के अधिदेश को और अधिक व्यापक बनाने की ज़रूरत है। निक्षेप बीमाकर्ताओं को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करना भी ज़रूरी है ताकि वे अपने अधिदेश को पूरा कर सकें। निक्षेप बीमाकर्ताओं की सहभागिता वाली एक प्रभावी बैंक समाधान प्रक्रिया, निक्षेप बीमाकर्ताओं को अपनी बाध्यताएँ पूरी करने की योग्यता को बढ़ाने में मदद करेगी, समाधान लागतें तथा बाज़ार की उथल-पुथल को कम करेगी, परिसंपत्तियों पर वसूलियों को बढ़ाएगी, कानूनी कार्यवाही के ज़रिए अनुशासन सुदृढ़ करेगी तथा लचीले तंत्र स्थापित करेगी जिससे बैंकों के अधिग्रहण सुगम होंगे।

16. एक प्रभावी तथा समय पर कार्य करने वाले 'असफलता-समाधान-ढांचे' के लिए, एक राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था बनाना अत्यंत आवश्यक है ताकि बैंकों का परिसमापन क्रमिक रीति से हो तथा बीमित जमाराशियों का भुगतान और अंतरण समय पर हो। निक्षेप बीमाकर्ता के पास ऐसे प्रभावी समाधान उपाय होने चाहिए जो नाजुक बैंक कार्यों के परिरक्षण, खातों अथवा परिसम्पत्तियों/ कारोबारों के अंतरण और / अथवा बैंक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने में मदद दे सकें। ऐसी समाधान विधियाँ बनाई जानी ज़रूरी हैं जो परिसमापन के कारण जमाकर्ता को पूतिपूर्ति के दौरान लगने वाली लागत के मुक़ाबले कम लागत पर समाधान की लोच उपलब्ध करा सकें। यह आवश्यक है कि निक्षेप बीमाकर्ताओं को, बीमित जमाराशियां, मज़बूत बैंकों में अंतरित करने की शक्तियां प्रदान की जाएं। समाधान प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जाए कि पहली हानियां, बैंकों के शेयरधारक उठाएं। निक्षेप बीमाकर्ता, वसूलियों से हुई प्राप्तियों में हिस्सेदार बनें।

17. निक्षेप बीमाकर्ता तथा 'वित्तीय प्रणाली सुरक्षा-तंत्र सहभागियों' के बीच तालमेल तथा सूचना के आदान-प्रदान (नियमित आधार पर तथा साथ ही वित्तीय कठिनाई में पड़े बैंकों के संबंध में) का एक ढांचा लागू किया जाना आवश्यक है। ये सूचनाएं सही और समयानुसार होनी चाहिए। सीमापार मुद्दों के संबंध में, गोपनीयता रखे जाने के साथ-साथ, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में निक्षेप बीमाकर्ताओं के बीच, तथा उपयुक्त हो तो निक्षेप बीमाकर्ताओं तथा अन्य 'विदेशी सुरक्षा-तंत्र सहभागियों' के बीच, सभी संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाए। सीमापार बैंकिंग व्यवस्थाओं से प्रभावित क्षेत्राधिकारों के जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति हेतु विधिक रूप से ज़िम्मेदार निक्षेप बीमा प्रणाली तथा सुरक्षा की सीमा और स्कोप के बारे में जानकारी दी जाए। यदि किसी निक्षेप बीमाकर्ता को इस जोखिम का सही आभास लगता है कि उसे दूसरे क्षेत्राधिकार के जमाकर्ताओं की सुरक्षा करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके पास 'आकस्मिक आयोजना' होनी चाहिए जिससे वह सीमापार व्यवस्थाएं अथवा करार कर सके।

18. बढ़ते वैश्विक वित्तीय एकीकरण से, अंतरराष्ट्रीय रूप से समान अवसर क्षेत्र बनाए रखने के लिए, निक्षेप बीमा को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धान्तों में संगति बनाए रखना ज़रूरी है। इस संदर्भ में निक्षेप बीमाकर्ताओं के बीच, 'सूचना-आदान-प्रदान' बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज काफी अधिक, और बढ़ती संख्या में, सीमापार वित्तीय संस्थाएं, बहु-निक्षेप बीमा क्षेत्राधिकारों में कार्यरत हैं। इसलिए प्रत्येक सीमापार संस्था के संबंध में, प्रत्येक निक्षेप बीमाकर्ता के बारे में बाध्यता संबंधी स्पष्टता ज़रूरी है। 'प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों' हेतु मूलभूत सिद्धांत कहते हैं कि घरेलू देश प्रणाली द्वारा पहले से प्रदान किया गया निक्षेप बीमा, लेवी अथवा प्रीमियम निर्धारण का आधार होना चाहिए मगर इस बारे में एक पक्की और आपसी समझ बननी ज़रूरी है।

19. अमरीका, यूरोप, एशिया तथा लातीनी अमरीका जैसे देशों / क्षेत्रीय अनुभवों के बारे में लिए गए सत्रों से ज्ञात हुआ है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में, निक्षेप बीमा प्रणालियों, विधिक ढांचे, क्षमता, अधिदेश, आर्थिक और बैंकिंग हालातों की दृष्टि से काफी विभिन्नताएं हैं। मेरे विचार में विभिन्नता का अर्थ प्रतिकूलता नहीं होता है। विश्वभर की निक्षेप बीमा प्रणालियों को, प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों संबंधी आइएडीआइ के मूलभूत सिद्धांतों के अनुपालन के लिए सच्चे प्रयास करने की ज़रूरत है। मूल सिद्धान्तों में निक्षेप बीमा प्रणालियों के लिए निदेशक फ्रेमवर्क की रूपरेखा और अंतर्निहित लोच शामिल है। इन सिद्धांतों के अनुपालन का यह अर्थ नहीं है कि देश अपने हिसाब से अपनी प्रणालियाँ न बनाएं। इस सम्मेलन में की गई प्रस्तुतियां और चर्चाएं और विभिन्न देशों के अनुभव निश्चय ही आपको इसमें मदद करेंगे कि आप इस जानकारी का उपयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में करें।

20. 'विनियामकों की प्रतिक्रिया' नामक सत्र में, संकट फ्रेमवर्क, बासेल-III-वैश्विक परिप्रेक्ष्य तथा कार्यान्वयन की चुनौतियां तथा वित्तीय संकट पर निक्षेप बीमाकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं जैसे विषय शामिल किए गए। विनियामकों की नीतियां और कार्य सदा ही ऐसे होने चाहिए जिनसे निक्षेप बीमाकर्ताओं को अपने कार्य में सुविधा मिले जिससे अंततः संकट को रोकने / संकट के समाधान का उपाय

ढूंढने में मदद मिलेगी और वित्तीय स्थिरता और समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। सुनिर्मित विनियामक सुधार, सदा ही, वित्तीय प्रणालियों को सुरक्षित, अनुकूलनशील बनाते हैं तथा निक्षेप बीमाकर्ताओं के लक्ष्यों और परिचालनों के लिए अनुपूरक सिद्ध होते है। दोनों के बीच निकट और निरंतर समन्वय *अनिवार्य* है। वित्तीय संकट पर निक्षेप बीमाकर्ता की प्रतिक्रिया के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि निक्षेप बीमाकर्ता, विनियामक के साथ मिलकर, संकट का पहले ही पता लगाने के लिए, एक अग्रिम संवेदी प्रणाली बनाए तथा ऐसी आकस्मिक आयोजना तैयार करें जिससे जरूरत पड़ने पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध हो सकें ताकि संकट को पहले ही दबाया जा सके और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा की जा सके। हाल की वैश्विक घटनाओं के मद्देनज़र, निक्षेप बीमा निधियों की पर्याप्तता और वित्तीय संकटों के समय अपनी बाध्यताएं पूरी करने में निक्षेप बीमाकर्ताओं की वित्तीय मज़बूती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

21. ''बैंक समाधान ढांचा - सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियाँ'' नामक सत्र में, बैंक समाधान के संबंध में, वैश्विक पद्धतियों, बैंक समाधान के प्रमुख कारकों तथा मूलभूत सिद्धान्तों को शामिल किया गया। ये सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां आपके लिए अच्छे बेंचमार्क के रूप में कार्य करेंगी। आपको पता लगेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और आप खुद कहां खड़े हैं और तदनुसार आपको कितना और किस दिशा में जाना है।

निष्कर्ष

22. निष्कर्ष के रूप में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपनी निक्षेप बीमा प्रणालियों पर कार्य करें और एक ऐसा वातावरण बनाकर उसे आदर्श रूप देने की कोशिश करें जिसमें अच्छा बैंक विनियमन और पर्यवेक्षण हो, सुरक्षा-तंत्र एजेन्सियों पर कुशल प्रशासन हो, अन्य सुरक्षा-तंत्र सहभागियों के साथ उपयुक्त अंतरक्रिया हो, बैंकों की सदस्यता अनिवार्य हो, मजबूत और त्वरित निधीयन-तंत्र बनाए गए हों, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो तथा समाधान प्रक्रिया प्रभावी बन सके।

23. मुझे यक़ीन है कि इस सम्मेलन ने आपको बहुमूल्य विचार दिए हैं और इस सम्मेलन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर हुई चर्चाओं से प्राप्त जानकारी का उपयोग, सभी प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने देशों में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाएगा ताकि उनके सुरक्षा-तंत्रों और निक्षेप बीमा प्रणालियों को आदर्श बनाया जा सके और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को, भविष्य में, किसी वित्तीय और प्रणालीगत उथलपुथल से सुरक्षित रखा जा सके। आपके सभी प्रयासों की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।